182

289

प्र.क्रमांक-III/निग./17/3625

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

1– राजनारायण शर्मा तनय रानरेश शर्मा, निवासी गनियारी, तहसील एवं जिला सिंगरौली (म0प्र0)

2– रामाधार साहू तनय संतधारी साहू, सा0 बेलवार, तहसील सरई, जिला रीवा (म0प्र0)

3– हीरालाल साहू तनय संतधारी साहू, सा0 बेलवार, तहसील सरई, जिला रीवा (म0प्र0) ————**आवेदकगण**

बनाम्

म0प्र0 राज्य द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय, प्रभारी देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) ————**अनावेदक**

आवेदक क्रमांक 1 श्री राजनारायण शर्मा द्वारा स्वतः उपस्थित होकर पेश किया गया 29-9-17
29.9.17
... म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर महोदय, सिंगरौली दिनांक 20/03/17 बावत् प्र0क्र0–1/निगरानी/2016–17 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है ।

2– यह कि पुराना खसरा नं0–26 टु, 56, 54टु, 56 जिसके नये नम्बरान 134, 135, 137 हुये परन्तु नया बन्दोबस्त सर्वेक्षण फेल हो जाने से नवीन बन्दोबस्त में 56टु से नया नं0–537, 54टु से नया नंबर 540 तैयार हुआ स्थित ग्राम बेलवार, तहसील सरई जिला सिंगरौली

राजनारायण शर्मा

182

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 3625 जिला–सिंगरौली

राजनारायण शर्मा / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 01 / निग0 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	